

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं० : 10प/विविध-16-06/2023/12/पं०रा० दिनांक-08/01/2025

बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं वेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा सरकारी परिसर अंतर्गत स्थानीय प्राधिकार को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (ख) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा अधिसूचित उप समाहर्ता से अन्यून राजपत्रित पदाधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र के अधीन सभी या कोई भी कार्य निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

2. पंचायती राज विभाग के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत जिला अंतर्गत अवस्थित त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद) की परिसंपत्तियों के आवंटन, किराया, वसूली एवं वेदखली के संबंध में बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं वेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को लागू करने तथा निष्पादन हेतु संबंधित जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को धारा 2(ख) के तहत सक्षम प्राधिकार घोषित किया जाता है।

3. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-10प/विविध-16-06/2023/405/पं०रा० पटना, दिनांक 08/01/2025
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला परिषद/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-10प/विविध-16-06/2023/405/पं०रा० पटना, दिनांक 08/01/2025
प्रतिलिपि:- सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-10प/विविध-16-06/2023/405/पं०रा० पटना, दिनांक 08/01/2025
प्रतिलिपि:- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां इस विभाग को अविलंब
उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-10प/विविध-16-06/2023/405/पं०रा० पटना, दिनांक 08/01/2025
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आगत सचिव को
माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-10प/विविध-16-06/2023/405/पं०रा० पटना, दिनांक 08/01/2025
प्रतिलिपि:- आई०टी०प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:-10प/विविध-16-06/2023/405/पं०रा० पटना, दिनांक 08/01/2025
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड
कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

सरकार के उप सचिव